


कार्यालय- प्राचार्य, डा0 शिवानन्द नौटियाल राजकीय महाविद्यालय वेदीखाल (पौड़ी गढ़वाल) उत्तराखण्ड
vedikhal79@gmail.com

दिनांक: 06/08/2021

अतिआवश्यक सूचना

महाविद्यालय के समस्त छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि मुख्यमंत्री वाल्सत्य योजना के अन्तर्गत ऐसे छात्र/छात्रायें जिनकी आयु 21 वर्ष तक हो तथा उनके माता/पिता /संरक्षक की मृत्यु 01 मार्च, 2020 के बाद कोविड-19 महामारी के कारण हुई हो उनकी देखभाल पुर्नवास चल-अचल सम्पत्ति एवं उत्तराधिकारों एवं विधिक अधिकारों का संरक्षण मुख्यमंत्री वाल्सत्य योजना के अन्तर्गत होना है।

अतः 21 वर्ष तक के छात्र/छात्रायें जिनकी माता/पिता की मृत्यु 01 मार्च, 2020 के बाद कोविड-19 के कारण हुई है। वह प्रमाण-पत्र सहित अपनी जानकारी कल दिनांक: 07/08/2021 तक आवश्यक रूप से महाविद्यालय कार्यालय को उपलब्ध कराये।



(डा0 डी0पी0 भट्ट)

प्राचार्य

राजकीय महाविद्यालय
वेदीखाल (पौड़ी गढ़वाल)